(ख) और (ग). 1963 में इसराईल की सरकार ने निर्धारित तरीके के विपरीत राजस्थान सरकार को सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में सहायता देने की सीधे ही पेशकश की। चूंकि निर्धारित तरीके का पालन नहीं किया गया था, इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे कुछ नहीं किया गया।

(घ) इस समय भारत के कौंसली हितों की देखभाल तेल-अवीव में ब्रिटेन का राजदूतावास कर रहा है।

टेलीविजन उपकरण में आत्म निर्भरता

1476. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कब तक टेलीविजन प्रसारण तथा टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये आवश्यक सभी उपकरणों के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा ताकि उनके आयात पर विदेशी मुद्रा न खर्च करनी पड़े ; और

(ख) समूचे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग की स्थापना पर कितनी भारतीय मुद्रा तथा कितनी विदेशी मुद्रा के खर्च होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). टेलीविजन प्रसारण उपस्कर

टेलीविजन प्रसारण उपस्कर केवल दिल्ली में लगाया गया है जिसमें अभी तक विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल होता है। टेलीविजन प्रसारण उपस्कर और स्टूडियो उपस्करों के देश में ही बनाने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इलैक्ट्रोनिक रिसीविंग सेट

सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी द्वारा तैयार किए गए देशी तकनीकी विधि का उपयोग करते हुए दो कम्पनियों को प्रति वर्ष दस-दस हजार टेलीविजन रिसीवर बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इन दोनों कम्पनियों का इस पर पूंजीगत व्यय 50 लाख रुपये के लगभग पड़ेगा जिसमें 7० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा होगी।

प्रारम्भ में प्रत्येक टेलीविजन रिसीवर पर लगभग 235 रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। पांचवें वर्ष में, जब कि बाहर से मंगाये जाने वाले उपकरणों का धीरे धीरे देशी उत्पादन आरम्भ होने लगेगा, प्रति रिसीवर पर 40 रुपए की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी।

परन्तीवर में बाहर से मंगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण टेलीविजन पिक्चर ट्यूब है जिसे देश में ही बनाए जाने की सम्भावना है और इससे प्रत्येक टेलीविजन रिसीवर में आयात किए जाने वाले उपकरणों की कीमत कम होने में मुख्य रूप से सहायता मिलेगी।

पनडुब्बियों का निर्माण

1477. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पनडुब्बियों के निर्माण करने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अपनी परमाणु नीति के संदर्भ में सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि रक्षा-कार्यों के लिए परमाणु पनडुब्बियों का भी निर्माण नहीं किया जायेगा ; और

(घ) क्या यह सच है कि परमाणु पनडुब्बियों की निर्माण लागत अन्य पनडुब्बियों की निर्माण लागत से अधिक होती है परन्तु उनकी संधारण लागत कम होती है तथा उनका कार्य बहुत उत्तम होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(घ) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य पनडुब्बियों की अपेक्षा परमाणु पनडुब्बियों की उत्पादन लागत और संधारण लागत अधिक होती है और परमाणु पनडुब्बियों का कार्य काफी उत्तम होता है ।

गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर (कलकत्ता)

1478. **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ब० का० भट्टाचार्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 मई, 1967 को कलकत्ता में काशीपुर स्थित गन एंड शैल फैक्टरी में हुई एक मुठभेड़ में 20 व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो मुठभेड़ के क्या कारण थे ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप जन-धन की कितनी हानि हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). यह सच है कि 10 मई, 1967 को एक मुठभेड़ हुई थी । आर्डनेन्स कारखानों के महानिदेशालय के एक प्रवर अफसर की अध्यक्षता में एक तथ्य निर्णायक बोर्ड का संयोजन किया गया । इस मुठभेड़ में किसी की मृत्यु नहीं हुई लेकिन सम्पत्ति को कुछ नुकसान पहुंचा और व्यक्तियों को चोटें आई । तथ्य निर्णायक बोर्ड की रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपलब्ध होने की आशा है ।

Reorganisation of Cantonments

1479. **Shri M. N. Naghnoor:**
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to amend the Cantonments Act of 1924;

(b) if so, the nature thereof;

(c) whether Report has been received from the Committee headed by Shri S. K. Patil on the re-organisation of Cantonments; and

(d) if so, the action taken thereon, particularly in regard to giving relief to the civilian owners of properties in the Cantonments?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) It is proposed to amend the Cantonment Act, 1924, with a view, amongst others, to introduce free and compulsory primary education in accordance with the directive principles of State Policy; further democratisation of the Cantonment Administration consistent with the nature of Cantonments as military stations; permit extension of the Act to places where Indian Navy is quartered; rectify defects in certain provisions of the Act brought out in judicial pronouncements; and remove difficulties experienced in administering the Act.